न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 23/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
हनुमानसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी सरासनी तहसील व जिला नागौर।		1 बजरंग सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी सरासनी तहसील व जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत सरासनी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सरासनी तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री भगवान राम सारस्वत अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

2 श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की आरे स।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 12.01.2026

1– प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरासनी द्वारा प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 20.02.2017, पटटा संख्या 06 दिनांक 20.02.2017 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.06.2024 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 20.06.24 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत सरासनी के फर्द अहकाम दिनांक 05.10.16 से 21.02.17 तक की फोटोप्रति, पटटा संख्या 05 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 134/23 की फोटोप्रति, अंतिम सूचना रिपोर्ट 134/23 की फोटोप्रति, न्यायिक दण्डनायक जायल को प्रस्तुत परिवाद की फोटोप्रति, हनुमानसिंह, करणसिंह, गेनाराम, किशनाराम, श्रवणसिंह, भगवानराम, गणपतलाल के बयानों की फोटोप्रति, एसएचओ रोल को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के प्रकरण संख्या 41/22 के फर्द अहकाम दिनांक 27.05.22 से 01.08.23 तक की फोटोप्रति, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 नागौर में प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव व फैसला एवं पट्टा विलेख राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)– विवादित मकान का जो पट्टा जारी किया गया है। उक्त मकान सहित सम्पूर्ण पडौस की स्थित भूमि का पट्टा संख्या 5 मिसल संख्या 3/58–60 के अन्तर्गत दिनांक 06.03.1960 को ग्राम पंचायत डेह द्वारा प्रार्थी के दादा के नाम से जारी किया गया है तथा विधि अनुसार किसी भी आबादी भूमि का पट्टा एक ही बार जारी किया जाता है। बार–बार उक्त भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी विवादित पट्टा व प्रस्ताव विधि प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया होने से अपास्त होने योग्य है।

2(3)– अप्रार्थी संख्या 1 ने पट्टा आवेदन में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उक्त मकान पुस्तैनी का मकान है व पूर्वजों का बना हुआ है तथा पुस्तैनी के मकान में सभी वारिसान का हक हिस्सा निहित करता है तथा अकेले एक व्यक्ति को ऐसी भूमि का पट्टा जारी करवाने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को वारिसान के संबंध में पूर्ण जानकारी थी तथा पूर्ण वारिसान की जांच किये बिना अकेले व्यक्ति के नाम से जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को सभी वारिसान के संबंध में जांच कर अथवा विभाजन के संबंध में शपथ पत्र लेकर एवं वारिसान के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज लेकर व शपथ पत्र आदि लेकर ही प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित करना चाहिए था। ग्राम पंचायत ने इस संबंध में कोई जांच नहीं की व न ही कोई दस्तावेज लिये व गलत रूप से पुस्तैनी भूमि का मिलावट करते हुए अकेले एक व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी कर दिया जो विधि समत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(4)– जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उसमें भूमि पुरतैनी होने के कारण प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित करता है तथा अकेले अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं है। फिर भी गलत रूप से पट्टा जारी किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(5)– ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का निस्तारण राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 140 से 168 तक दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। उक्त नियमों के विरुद्ध जाकर किसी भी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नियम 141 के अन्तर्गत उक्त आवेदन पेश किया गया था जिसके तहत भूमि का विक्रय नीलामी के जरिए ही किया जा सकता है तथा नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु 3 पंचों की समिति की नियुक्ति की जाना आवश्यक है तथा पंचगण द्वारा मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की जाना आवश्यक है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी एवं सचिव के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर होना आवश्यक है। प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि मौका रिपोर्ट, आवेदन पत्र, नक्शा की लिखावट व निरीक्षण रिपोर्ट की लिखावट एक ही व्यक्ति के हाथ की है तथा पंचगण द्वारा मौके पर जाकर कोई निरीक्षण नहीं किया गया जो निरीक्षण रिपोर्ट से प्रमाणित है तथा हस्ताक्षर हेतु चिन्ह अंकित किये गये हैं तथा उनके नीचे हस्ताक्षर है तथा सचिव के कोई हस्ताक्षर नहीं है। इससे प्रमाणित है कि मौके पर कोई जांच नहीं की गयी तथा मकान की स्थिति भी अंकित नहीं की गयी तथा जो नक्शा पेश किया गया है। उस पर भी ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा निरीक्षण पत्र पर भी ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है। आपत्ति आमंत्रण आरोप हेतु नोटिस नियम 148 के अन्तर्गत जारी किया जाना आवश्यक है। जिसका एक नोटिस प्रस्तावित भूमि पर लगाया जाना व दूसरी प्रति उस क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक भूमि पर लगाया जाना आवश्यक है। पत्रावली में प्रस्तुत नोटिस के अवलोकन मात्र से यह ज्ञात होता है कि ऐसा कोई नोटिस चाहे गये मकान पर चस्पा नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत में ही बैठकर की गयी तथा आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही उक्त प्रस्ताव आदेश व पट्टा जारी किया गया है। जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)– अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पूर्व में कोई पट्टा जारी नहीं हुआ है तथा मकान का निर्माण पूर्वजों द्वारा किया हुआ है तथा गवाह के बयान में मकान का निर्माण 48 वर्ष पुराना होना अंकित किया है जबकि स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 की आयु पट्टे के दिन 51 वर्ष होती है इसलिए उसके द्वारा निर्माण करवाया जाना कदापि संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही ही मिलावटी तौर पर की गयी है तथा आबादी भूमि के निस्तारण के संबंध में दिये गये आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही प्रस्ताव पट्टा जारी किया गया है।

2(7)– पूर्व में जारी पट्टे के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्ण जानकारी रही तथा ग्राम वासियों को भी पूर्ण जानकारी रही है फिर भी गलत आधारों पर पूर्व में पट्टा जारी होते हुए भी गलत आधारों पर पट्टा जारी किया गया है। पूर्व पट्टे के अनुसार मकान में भैरूसिंह के समस्त वारिसान का हक हिस्सा निहित करता है तथा पुनः पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त तथ्यों पर किसी प्रकार की जांच किये बिना ही गलत आधारों पर जारी किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की विधिनुसार पूर्णतया पालना करते हुए जारी किया गया। तत्कालीन ग्राम पंचायत डेह द्वारा जारी पटटा दिनांक 06.03.1960 तथा ग्राम पंचायत सरासनी द्वारा जारी पटटा संख्या 06 दिनांक 20.02.2017 का पडौस भिन्न भिन्न है तथा उनका क्षेत्रफल भी भिन्न भिन्न है। उक्त दोनों पटटे अलग अलग जायगा पर जारी किये गये है। अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी पटटा संख्या 06 दिनांक 20.02.2017 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की विधिनुसार पूर्णतया पालना करते हुए जारी किया गया। निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्लू 2013(1) पेज 164 से 169, डीएनजे राज 2007(2) पेज 975 से 980, आरआरटी 2002(1) पेज 434 से 436 नजीरे पेश की।

1/11/19

अपर कलक्टर, नागौर

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरासनी द्वारा प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 20.02.2017, पटटा संख्या 06 दिनांक 20.02.2017, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध तत्कालीन ग्राम पंचायत डेह द्वारा जारी पटटा दिनांक 06.03.1960 तथा ग्राम पंचायत सरासनी द्वारा जारी पटटा संख्या 06 दिनांक 20.02.2017 का पडौस भिन्न भिन्न है तथा दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दोनों पटटे एक ही भू भाग अथवा एक ही स्थान पर जारी किए गए हो। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जाना प्रतीत होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना करते हुए ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की नियुक्ति कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी ली गई है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज के नियमों की पालना करते हुए विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की प्रति पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। पट्टे के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत सरासनी द्वारा पटटा संख्या 06 दिनांक 20.02.2017 विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर